<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर</u>

<u>पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर॰ए॰एस॰</u>

<u>प्रकरण संख्या 7/2025 (उदयपुर डिक्री)</u>

भूरीलाल पिता गणेशलाल जी मेघवाल, निवासी माणस, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

.... अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. मोहनलाल पिता गणेशलाल जी मेघवाल, निवासी माणस, तहसील झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, झाडोल, जिला उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा – 223 राजस्थान
काश्त॰ अधि॰ – 1955 विरूद्ध निर्णय व
डिक्री उपखण्ड अधिकारी, झाडोल दि0
08.09.2021, प्रकरण संख्या 74/2017

–––/–––

<u>उपस्थित</u> :– 1– श्री गणेशलाल पालीवाल अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक रे.सं. 2

–––::–––

<u>निर्णय</u> <u>दिनांक 03–03–2025</u>

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने एक वाद बाबत् अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा माणस में आराजी नंबर 957 रकबा 0.1500 हैक्टर भूमि स्थित है, जो राजस्व रेकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के सहखातेदारी में दर्ज है, जिसमें वादी का 7/15 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 8/15 हिस्सा निहित होकर इसी अनुसार मौके पर काबिज है, किन्तु मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन नहीं होने से भूमि विकाश में परेशानी आती है। अतः विवादित आराजी का पक्षकारान के मध्य मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08–09–2021 को वादी का वाद स्वीकार कर प्रारम्भिक डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 08[illegible]25 को प्रस्तुत की गई है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:29 IST
Reason: SelfAttested

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये गये, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणेशलाल पालीवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अभिभाषक अपीलान्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय व डिक्री की जानकारी पटवारी हल्का द्वारा होने पर अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–12–2024 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि प्रकरण में एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हुई है। इस कारण अपीलान्ट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में विलम्ब हुआ है। अतः देरी को क्षमा किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

हमने बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने वक्त बहस अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि प्रकरण में दिनांक 24–02–2021 को अपीलान्ट का जवाब बन्द किया गया, जबकि तत्समय कोरोना के कारण न्यायालयों में इफेक्टिव आदेश नहीं हो रहे थे तथा अधिवक्ता एवं पक्षकारान भी उपस्थित नहीं हो रहे थे, फोरमल तौर पर अधिवक्ता अपीलान्ट की उपस्थिति बता दी है, जबकि आदेशिका पर अपीलान्ट के अधिवक्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा न ही जवाब बंद किये जाने की आदेशिका पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। ऐसी स्थिति में इसके बाद की आदेशिकाओं का कोई महत्व नहीं है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने दावा डिक्री करने में भूल की है। उक्त डिक्री की जानकारी होने पर अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 जा.दी. का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उसे यह कहते हुए निरस्त कर दिया कि अपीलान्टगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही नहीं हुई है। विवादित भूमि के संबंध में एक सिविल सूट भी माननीय [illegible] में विचाराधीन है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:29 IST
Reason: SelfAttested

विक्रय पत्र अवैध व निरस्त घोषित कराने एवं स्थायी निषेधाज्ञा का है। अपीलान्ट द्वारा वादगस्त भूमि कभी भी रेस्पोन्डेन्ट को विक्रय नहीं की गयी है तथा अपीलान्ट का नाम कभी भी भैरूलाल नहीं रहा है, न ही भैरूलाल नाम से हस्ताक्षर करता है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय डिक्री अपास्त की जावे तथा अपीलान्ट को जवाबदावा प्रस्तुत करने का अवसर देकर विधिवत सुनवाई कर निर्णय करने हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने प्रकरण में राजकीय हित निहित नहीं होने से प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर करने का निवेदन किया।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी के जवाब का अवसर दिनांक 24–02–2021 को बन्द किया है तथा दिनांक 08–09–2021 को एकपक्षीय डिक्री जारी गयी की है, जिस पर अपीलान्ट द्वारा आदेश 9 नियम 13 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 10–12–2024 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलान्ट के विरूद्ध कोई एकतरफा कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी है, जबकि पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट/प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की जाकर उसे बिना सुने एकपक्षीय डिक्री जारी की गयी है, जो प्रथम दृष्टया त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 08–09–2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी का जवाबदावा लेकर एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का अवसर देकर साक्ष्य सबूतों के आधार पर पुनः नये सिरे निर्णय पारित करें। पक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30–04–2025 को उपस्थित रहें। निर्णय आज दिनांक 03–03–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं अतिरिक्त राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2025.03.26 15:57:29 IST
Reason: SelfAttested